

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/सी-2/स्थानान्तरण/इतिहास/ 2019-20/ दिनांक-29.09.2019 के तहत श्रीमान् राजेश कुमार शर्मा व्याख्याता, इतिहास राउमावि गोपालपुरा देवरी, जयपुर का स्थानान्तरण राउमावि सजियाली पदमसिंह, बाड़मेर किया गया। श्री राजेश कुमार शर्मा द्वारा इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जोधपुर में एस.बी.सी. याचिका संख्या 544/2019 राजेश कुमार शर्मा बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में याचिकार्थी श्री राजेश कुमार शर्मा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं की माताजी गंभीर हृदय रोग से पिड़ित होने के साथ उन्हें डायबिटीज, थायराइड एवं जोड़ों के दर्द की गंभीर समस्या के आधार पर अपना पदस्थापन जयपुर के समीप स्थान पर पदस्थापित करने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

याचिकार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया है। याचिकार्थी का प्रकरण इनमें से किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता।

यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है की लोकसेवकों द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानान्तरण की मांग अधिकारपूर्वक नहीं कि जा सकती। अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है।

चूंकि याचिकार्थी अपने पदस्थापित स्थान पर दिनांक 19.10.2019 को कार्यग्रहण कर चुका है। अतः उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/सी-2/अभ्यावेदन/राजेश कुमार शर्मा/को.के/18-19

दिनांक: 24/10/2019

➤ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, बाड़मेर
5. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जोधपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्राधानाचार्य राउमावि, गोपालपुरा देवरी, जयपुर/राउमावि सजियाली पदमसिंह, बाड़मेर
9. कार्मिक राजेश कुमार शर्मा व्या0 इतिहास राउमावि सजियाली पदमसिंह, बाड़मेर।
10. गार्ड फंजिका।



संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर